झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
संकल्प

विषय :– **खरीफ विपणन मौसम 2021–22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु "धान अधिप्राप्ति योजना" के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011–12 से धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गयी है। विगत् वर्षो की कठिनाईयों को देखते हुए अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सहज, पारदर्शी एवं विश्वसनीय बनाने के लिए इस योजना का स्वरूप प्रस्तावित है।

1. धान अधिप्राप्ति योजना हेतु नोडल एजेन्सी–

खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में धान अधिप्राप्ति कार्य राज्य के सभी जिलों के लिए झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा धान अधिप्राप्ति किये जाने का प्रस्ताव है। धान अधिप्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची नोडल अभिकरण होगा।

2. खरीफ विपणन मौसम 2021–22 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस–

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 3(19)/2020-Py.I, दिनांक 16.06.2021 द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2021–22 के लिए निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बोनस के रूप में रूपये 110/– प्रति क्विंटल किया जाता है, जो निम्नवत् है :–

धान	किस्म	न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल	न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जानेवाली बोनस की राशि प्रति क्विंटल	कुल
	साधारण	1,940/–	110/–	**2,050/–**
	ग्रेड "ए"	1,960/–	110/–	**2,070/–**

उक्त क्रम में बोनस के निमित्त भारत सरकार से विधिवत् सहमति प्राप्त की जायेगी।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस का भुगतान–

किसानों से क्रय किये गये धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पास उपलब्ध रिवाल्विंग फण्ड से किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% राशि का भुगतान किसानों को धान अधिप्राप्ति के समय किया जायेगा। किसानों को **बोनस का भुगतान** हेतु राशि का व्यय "धान अधिप्राप्ति योजना शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा।"

4. धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य–

राज्य के किसानों को भारत सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 8.00 (आठ) लाख मे० टन निर्धारित किया गया है।

5. धान अधिप्राप्ति की सीमा–

खरीफ विपणन मौसम 2021–22 में धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 (दो सौ) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल पाये।

6. धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधन–

(क) जिला कार्यालय द्वारा Offline निबंधन

(i) धान अधिप्राप्ति का कार्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (ई–उपार्जन) के तहत् कराया जायेगा।

(ii) निबंधन के समय किसानों से विभाग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र, यथा– आधार संख्या, मोबाईल नम्बर, बैंक खाता विवरणी, कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त भूमि का रकबा (खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या सहित), इत्यादि प्राप्त किया जायेगा।

(iii) निबंधित सभी किसानों के आवश्यक कागजात जिला आपूर्ति कार्यालय के द्वारा ई–उपार्जन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाऐंगे।

(ख) Online पंजीकरण के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :–

(i) ई–उपार्जन पोर्टल एवं बाजार एप के माध्यम से किसान पंजीयन हेतु स्वयं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरते समय किसानों द्वारा फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र, यथा– आधारकार्ड, वोटरकार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, इत्यादि, बैंक खाता विवरणी, भूमि का रकबा (खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या) का स्कैन कॉपी अपलोड की जाएगी। आवेदन करते समय आधार संख्या एवं वैध मोबाईल नम्बर अनिवार्य होगा।

(ii) पूर्व से निबंधित ऐसे किसान जिनका मोबाईल नम्बर/बैंक खाता में परिवर्तन हो गया है, को पोर्टल पर Direct user system के तहत उपार्जन पोर्टल एवं बाजार एप के माध्यम से स्वयं सुधार का विकल्प भी प्रदान किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु विभागीय ई–उपार्जन पोर्टल में सुरक्षा व्यवस्था (Security feature) सुनिश्चित की जाएगी।

(iii) जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सभी किसानों से संबंधित खरीफ विपणन मौसम वर्ष के 15 नवम्बर तक आवेदन प्राप्त कर लिया जायेगा एवं प्राप्त आवेदनों की 15 दिसम्बर तक जाँच करते हुए विधिवत अनुमोदित किये जाऐगें।

(iv) जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आवेदनों का अनुमोदित करने के उपरान्त् संबंधित किसानों को SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी। यदि किसी किसान का आवेदन निरस्त किया जाता है या कोई त्रुटि है तो इसकी भी सूचना SMS/दूरभाष के माध्यम से तत्संबंधी किसान को दी जाएगी।

(v) यदि कोई किसान अपना निबंधन 15 नवम्बर तक नहीं करा पाता है तो उसके बाद भी उपर्युक्त प्रक्रिया अपना कर निबंधन करा सकते हैं।

(vi) निबंधित सभी किसानों को SMS/दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिप्राप्ति केन्द्रों पर धान बिक्री की तिथि एवं संबंधित टोकन की सूचना दी जाएगी।

7. धान अधिप्राप्ति हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का दायित्व–

(i) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसानों की संख्या एवं प्रखण्ड से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में धान अधिप्राप्ति केन्द्र संचालित किये जायेंगे। जिलावार अधिप्राप्ति केन्द्रों की संख्या का निर्धारण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड से सहमति प्राप्त करते हुए किया जायेगा।

(ii) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा धान खरीद सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला प्रशासन द्वारा धान मिलिंग हेतु झारखण्ड सी०एम०आर० (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश, 2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(iv) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाता में किया जाएगा।

(v) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्य (धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान, परिवहन/हथालन, मिलिंग इत्यादि) अपनी साख के आधार पर किया जाएगा।

(vi) बोरों की व्यवस्था भारत सरकार के मानक के अनुसार अधिप्राप्ति एजेंसी द्वारा की जाएगी।.

(vii) अधिप्राप्ति केन्द्रों पर नमी मापक यन्त्र, विश्लेषण किट, डिजिटल वेईंग मशीन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था अधिप्राप्ति एजेंसी द्वारा की जाएगी।

(viii) अधिप्राप्ति केन्द्रों पर किसानों को झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से मजदूरों की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

(ix) "खरीफ विपणन मौसम 2021–22 के लिए राज्य में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा अधिप्राप्त किये गये धान की विभिन्न चयनित मिलों द्वारा 30 जून, 2022 तक मिलिंग कर जमा करायी गयी सी०एम०आर० की मात्रा के विरूद्ध भारत सरकार से निर्धारित मिलिंग शुल्क के समतुल्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा ऐसी राईस मिलों के द्वारा सम्पूर्ण सी०एम०आर० जमा कर दिए जाने के उपरान्त प्रोत्साहन राशि (Incentive) दी जायेगी। राशि का व्यय धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

8. <u>धान अधिप्राप्ति केन्द्र</u>–

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की अधिप्राप्ति करने हेतु चयनित पैक्स (Primary Agriculture Credit Co-operative Societies)/लैम्पस (Large Area Multi Purpose Co-operative Societies)/कृषक सेवा सहकारी समिति/व्यापार मंडल/ग्रेन गोला/Farmers Producer Organisation (FPO) /बाजार समिति धान अधिप्राप्ति केन्द्र होंगे।

इस क्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(ii) धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित ***"जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति"*** द्वारा किया जाएगा।
धान अधिप्राप्ति केन्द्रों के चयन में निम्न वर्णित माप–दण्डों को ध्यान में रखा जाएगा :–
   (a) पूर्व में की गयी अधिप्राप्ति की मात्रा अन्य उपलब्धियाँ व क्रियाशीलता एवं अन्य प्रासंगिकताएँ;
   (b) अधिप्राप्ति केन्द्र की भण्डारण क्षमता (गोदाम) उपलब्ध हो;
   (c) उपलब्ध भण्डारण क्षमता (गोदाम) की भौतिक स्थिति अच्छी एवं सुरक्षित हो;
   (d) निबंधित किसानों से अधिप्राप्ति केन्द्र की दूरी न्यूनतम हो।
   (e) धान अधिप्राप्ति केन्द्रों से दूरी को ध्यान में रखते हुए पंचायत को टैग किया जा सकता है जिससे किसानों को धान बिक्री करने में सुविधा हो।

(iii) अधिप्राप्ति केन्द्रों पर संबंधित उपायुक्त द्वारा जन सेवकों/अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अधिप्राप्ति केन्द्रों पर अधिप्राप्त किये गये धान का लेखा एवं अन्य सभी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त जन सेवक/कर्मी की होगी।

(iv) अधिप्राप्ति केन्द्रों पर भण्डारण, रख–रखाव, सुरक्षा, इत्यादि की जांच प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।

91

(v) धान बिक्री करने वाले किसानों की भुगतान हेतु विवरणी अधिप्राप्ति केन्द्रों के अध्यक्ष/सचिव, प्रतिनियुक्त जनसेवक/कर्मी एवं प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के उपरान्त जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

(vi) धान बिक्री करने वाले किसानों की भुगतान विवरणी पर प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी का हस्ताक्षर तभी अनिवार्य होगा जब उसकी प्रतिनियुक्ति उपायुक्त द्वारा उस धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर की जाएगी।

(vii) प्रत्येक केन्द्र पर धान के उठाव के दौरान संबद्ध मिलर के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी ताकि धान अधिप्राप्ति के समय ही मात्रा/वजन एवं गुणवत्ता का सत्यापन हो सके अन्यथा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ कर्मचारी द्वारा सत्यापित गुणवत्ता एवं वजन के आधार पर अधिप्राप्त धान राईस मिलरों को स्वीकार करना होगा।

(viii) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची के अधिप्राप्ति केन्द्रों पर जैप आईटी से सूचीबद्ध एजेंसी/निविदा के माध्यम से चयनित एजेन्सी के माध्यम से बाह्य स्रोत पर अस्थायी कम्प्यूटर ऑपरेटरों की सेवाएँ प्राप्त की जाऐंगी।

(ix) झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधिप्राप्ति केन्द्रों पर नमी मापक यन्त्र, विश्लेषण किट, डिजिटल वेईंग मशीन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने, धान अधिप्राप्ति हेतु रखे जाने वाले अस्थायी कम्प्यूटर ऑपरेटरों के मानदेय का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

(x) इस हेतु राशि का व्यय झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड "धान अधिप्राप्ति योजना" शीर्ष में उपलब्ध करायी गयी राशि से किया जाएगा।

(xi) अंकेक्षण का कार्य अधिप्राप्ति एजेंसियों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में नियमानुसार किया जायेगा। केन्द्रवार ससमय लेखा संधारण एवं अंकेक्षण का कार्य इस प्रकार कराया जाएगा कि अगले खरीफ विपणन मौसम में अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ होने के पूर्व गत वर्ष की योजना का लेखा तैयार हो जाए।

9. **अधिप्राप्ति एजेन्सी एवं कर्मियों का प्रशिक्षण–**

अधिप्राप्ति में संलग्न एजेंसी एवं कर्मियों को भारतीय खाद्य निगम एवं गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

10. **चावल मिल का निबंधन एवं अधिप्राप्ति केन्द्रों के साथ सम्बद्धता**

(i) चावल मिल का निबंधन एवं अधिप्राप्ति केन्द्रों के साथ सम्बद्धता का कार्य उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाएगा।

(ii) इसके लिए जिला में स्थित मिल के द्वारा संबंधित जिलों के जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन जमा किया जाएगा।

(iii) भौतिक सत्यापन हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में जांच के पश्चात् जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम इस योजनान्तर्गत् निबंधन करते हुए विहित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र निर्गत करेंगे।

(iv) अक्रियाशील/बकायेदार मिल को सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।

(v) जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा निबंधित मिल के साथ विहित प्रपत्र में अनुबंध/एकरारनामा किया जाएगा। अनुबंध/एकरारनामा हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची द्वारा अनुबंध/एकरारनामा प्रारूप उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) अधिप्राप्ति केन्द्रों को निकटतम राईस मिलों के साथ टैग किया जायेगा। जिला में पर्याप्त मात्रा में मिलिंग क्षमता की कमी की स्थिति में अन्य जिलों/झारखण्ड राज्य से बाहर की राईस मिलों से मिलिंग करायी जा सकती है।

(vii) झारखण्ड राज्य से बाहर स्थित राईस मिलों के साथ भी अधिप्राप्ति केन्द्रों की टैगिंग निकटतम दूरी के आधार पर की जायेगी।

11. धान के परिवहन

(i) धान के परिवहन का कार्य जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के निर्देशानुसार राईस मिलरों/अधिप्राप्ति केन्द्रों/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची के द्वारा उस वर्ष के लिए निविदा के माध्यम से निर्धारित परिवहन दर पर किया जाएगा।

परिवहन में भारत सरकार द्वारा देय राशि से अधिक परिवहन व्यय होने की स्थिति में अंतर राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। यह व्यय "धान अधिप्राप्ति योजना" शीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

(ii) राईस मिलरों/अधिप्राप्ति केन्द्रों/झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड द्वारा नियमित रूप से अधिप्राप्ति केन्द्रों से धान का उठाव कर जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा निर्देशित राईस मिल/चयनित गोदाम में पहुँचाया जायेगा।

जिला द्वारा धान के भण्डारण हेतु आवश्यकतानुसार बाजार समिति के गोदाम या निजी गोदामों को बाजार समिति के दर पर व्यवस्था की जायेगी।

12. CMR का परिवहन एवं हथालन

(i) CMR का परिवहन एवं हथालन कार्य राईस मिलों द्वारा किया जाएगा।

(ii) जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा मिल में तैयार सी०एम०आर० के आधार पर इंफोर्समेंट सर्टिफिकेट (सी०एम०आर० डिलिवरी सर्टिफिकेट) ससमय निर्गत किया जाएगा।

(iii) इस कार्य में विलम्ब के लिए जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

(iv) झारखण्ड सी०एम०आर० (दायित्व एवं नियंत्रण) संशोधित आदेश, 2020 के प्रावधानों के तहत राज्य में अवस्थित समस्त राईस मिलों द्वारा प्रत्येक माह अपनी मिलिंग क्षमता का 30% (तीस प्रतिशत) मिलिंग पहले सरकारी कार्य हेतु की जाएगी अन्यथा राईस मिल के वाणिज्यिक कार्य पर रोक लगा दी जायेगी।

(v) धान एवं CMR के परिवहन शुल्क का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से निर्धारित परिवहन दर पर किया जाएगा।

13 भुगतान की प्रकिया

(i) जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्रों /राईस मिलरों/परिवहन अभिकर्त्ताओं से विपत्र प्राप्त कर जाँचोपरान्त् अनुमान्य कमीशन, मिलिंग शुल्क, परिवहन शुल्क, हथालन शुल्क इत्यादि आकस्मिक व्यय के भुगतान हेतु प्रस्ताव झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्रों तथा मिलरों को भुगतान किया जायेगा।

(ii) भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन्सिडेंटल चार्जेज एवं कॉस्ट शीट मान्य होगी एवं इसे संबंधित एजेन्सियों एवं जिलों को प्रेषित किया जाएगा।

(iii) भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति किये जाने वाले चावल से संबंधित खर्च का ब्योरा, लेखा एवं सी०एम०आर० की मात्रा की सारी जिम्मेवारी जिला प्रबंधक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की होगी।

14. **अनुश्रवण**– धान अधिप्राप्ति योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर धान अधिप्राप्ति योजना अनुश्रवण समितियों का निम्न प्रकार से गठन किया जाता है।

14.1 राज्य स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति

विभागीय मंत्री	– अध्यक्ष।
विकास आयुक्त	–सदस्य।
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलें विभाग	– सदस्य।
प्रधान सचिव/सचिव कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	– सदस्य।
निबंधक, सहयोग समितियाँ	– सदस्य।
निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय	– सदस्य।
प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0	–सदस्य सचिव।

यह समिति सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी।

14.2 जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति

उपायुक्त	– अध्यक्ष
उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता	– सदस्य
जिला आपूर्ति पदाधिकारी	– सदस्य
जिला सहकारिता पदाधिकारी	– सदस्य
जिला कृषि पदाधिकारी	– सदस्य
जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	– सदस्य
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	– सदस्य
क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्	– सदस्य
जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0	–सदस्य सचिव

यह समिति सम्पूर्ण योजना का जिला स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि वास्तव में निबंधित किसानों के ही धान का क्रय हो।

14.3 प्रखंड स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति

प्रखंड विकास पदाधिकारी	– अध्यक्ष
अंचल अधिकारी	– सह–अध्यक्ष
प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	– सदस्य
प्रखंड कृषि पदाधिकारी	– सदस्य
अध्यक्ष/संचालक एवं सहायक प्रबंधक सभी धान अधिप्राप्ति केन्द्र	– सदस्य
प्रखंड आपूर्ति/पणन पदाधिकारी	–सदस्य सचिव

यह समिति सम्पूर्ण योजना का प्रखण्ड स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी।

15. जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समस्त पंजीकृत किसानों, पंजीकृत किसानों द्वारा बेचे गये धान की मात्रा, अधिप्राप्ति केन्द्रों, राईस मिलरों एवं जमा होनेवाली CMR का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जायेगा तथा अपने उपायुक्त को नियमित रूप से अवगत कराया जाएगा।

16. अधिप्राप्ति योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

17 धान अधिप्राप्ति योजना का व्यय मुख्यशीर्ष–3456–सिविल पूर्ति–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 102–सिविल पूर्ति योजना/ 789–अनुसूचित जातियों की विशेष घटक योजना– उपशीर्ष–69–धान अधिप्राप्ति योजना– 06–अनुदान–52– सब्सिडी (18S345600-796/102/789-69010652) से की जायेगी।

18 झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड, राँची के द्वारा धान अधिप्राप्ति करने के क्रम में प्रत्येक सप्ताह वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा। धान अधिप्राप्ति कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त दिनांक 30.11.2022 तक सम्पूर्ण प्रतिवेदन विभाग में समर्पित किया जाएगा।

19. धान अधिप्राप्ति से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प निरस्त किये जाते हैं।

20. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक–2663, दिनांक 21.10.2021 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 21.10.2021 की बैठक के मद संख्या–18 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(हिमानी पाण्डे),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 05/धान अधि प्राप्ति/09/2021–खा०आ० ..... /रांची, दिनांक
प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 05/धान अधि प्राप्ति/09/2021–खा०आ० ..... /रांची, दिनांक
प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इसे झारखण्ड राजपत्र में ऑनलाईन प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 05/धान अधि प्राप्ति/09/2021–खा०आ० ..... /रांची, दिनांक
प्रतिलिपि–माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ निदेशक, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड/सभी उप निदेशक (खाद्य)/अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) धनबाद/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची/जमशेदपुर/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 05/धान अधि प्राप्ति/09/2021–खा०आ० 2754 /रांची, दिनांक 27/10/21
प्रतिलिपि–सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड/निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।